प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 05 जून, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी कमलेश पुत्र सालिगराम, निवासी जनपद-हरदोई की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-5781/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-22.02.2024), दिनांक 01.03.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी कमलेश पुत्र सालिगराम, नगला भगवान, थाना-शाहाबाद, जनपद-हरदोई का निवासी है। प्रथम केस मेड पर पानी बहने के कारण फिसल जाने के विवाद की रजिश को लेकर दिनांक 23.10.1979 को बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर काता, लाठियों व बन्दूकों से गोली मारकर रामपाल नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-286/1982 में भा0द0वि0 की धारा-148.302/149, 307/149 के अन्तर्गत मा० आपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०-02, हरदोई के आदेश दिनाक 12.11.1999 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ के आदेश दिनाक 03.05.2018 द्वारा बदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 07.02.2024 तक अपरिहार 05 वर्ष, 07 माह 05 दिन तथा सपरिहार 06 वर्ष, 10 माह, 23 दिन की सजा भोग ली गयी है। द्वितीय केस पूर्व में हुयी हत्या के मुकदमे की पैरवी किये जाने की रजिश को लेकर दिनाक 04 12 1999 को बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मुकेश उर्फ रिन्कू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। बंदी को सत्र परीक्षण संख्या-57/2006, धारा-302/34 आईपीसी में मा० अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट स०-05, हरदोई के आदेश दिनाक 18.12.2020 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनाक 07.02.2024 तक अपरिहार 17 वर्ष, 09 माह, 24 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 04 माह, 03 दिन की सजा भोग ली गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय दवारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के छूटने के बाद दोनो पक्षों में राजनैतिक पार्टीबन्दी होने व सामाजिक सम्बन्ध स्थापित नही होने, अभी भी दोनों पक्षों में विवाद होने की पूर्ण सम्भावना होने की आख्या अकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रथम केस मेड पर पानी बहने के कारण फिसल जाने के विवाद की रजिश को लेकर दिनाक 21.10.1979 को बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर काता, लाठियों व बन्दूकों से गोली मारकर रामपाल नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। द्वितीय केस पूर्व में हुयी हत्या के मुकदमे की पैरवी किये जाने की रजिश को लेकर दिनाक 04 12 1999 को बन्दी ने अपने 08

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मुकेश उर्फ रिन्कू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। बन्दी द्वारा 02 अन्य वादों में जघन्य अपराध कारित किया गया। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन अपराध करने में अशक्त न होने का अकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एव जघन्यता जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजन रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी कमलेश पुत्र सालिगराम को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की सस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी कमलेश (बंदी संख्या-28206) पुत्र सालिगराम, निवासी जनपद-हरदोई के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-544/2025/636(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-544/2025/636/22-2-2024-17(400)/2024

दिनांक 05 जून, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी कमलेश पुत्र सालिगराम, नगला भगवान, थाना-शाहाबाद, जनपद-हरदोई का निवासी है। प्रथम केस मेड पर पानी बहने के कारण फिसल जाने के विवाद की रजिश को लेकर दिनांक 23.10.1979 को बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर काता, लाठियों व बन्दूकों से गोली मारकर रामपाल नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-286/1982 में भा0द0वि0 की धारा-148.302/149, 307/149 के अन्तर्गत मा० आपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०-02, हरदोई के आदेश दिनाक 12.11.1999 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ के आदेश दिनाक 03.05.2018 द्वारा बदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 07.02.2024 तक अपरिहार 05 वर्ष, 07 माह 05 दिन तथा सपरिहार 06 वर्ष, 10 माह, 23 दिन की सजा भोग ली गयी है। द्वितीय केस पूर्व में हुयी हत्या के मुकदमे की पैरवी किये जाने की रजिश को लेकर दिनाक 04 12 1999 को बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मुकेश उर्फ रिन्कू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। बंदी को सत्र परीक्षण संख्या-57/2006, धारा-302/34 आईपीसी में मा० अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट स०-05, हरदोई के आदेश दिनाक 18.12.2020 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनाक 07.02.2024 तक अपरिहार 17 वर्ष, 09 माह, 24 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 04 माह, 03 दिन की सजा भोग ली गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय दवारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के छूटने के बाद दोनो पक्षों में राजनैतिक पार्टीबन्दी होने व सामाजिक सम्बन्ध स्थापित नही होने, अभी भी दोनों पक्षों में विवाद होने की पूर्ण सम्भावना होने की आख्या अकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रथम केस मेड पर पानी बहने के कारण फिसल जाने के विवाद की रजिश को लेकर दिनाक 21.10.1979 को बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर काता, लाठियों व बन्दूकों से गोली मारकर रामपाल नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। द्वितीय केस पूर्व में हुयी हत्या के मुकदमे की पैरवी किये जाने की रजिश को लेकर दिनाक 04 12 1999 को बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मुकेश उर्फ रिन्कू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। बन्दी द्वारा 02 अन्य वादों में जघन्य अपराध कारित किया गया। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन अपराध करने में अशक्त न होने का अकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एव जघन्यता जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजन रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी कमलेश पुत्र सालिगराम को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की सस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in